हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 114

वीरवार, 31 मार्च, 2016/11 चैत्र, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही श्री रविन्द्र सिंह, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि पिछले सोमवार से लगातार यह मामला उठ रहा है जिसके सम्बन्ध में हमने नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। ED ने माननीय मुख्य मन्त्री के खिलाफ गैर-कानूनी तरीके से सम्पत्ति को इकट्ठा करने के लिए कागज़ों से छेड़छाड़ करने पर कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। अतः इस विषय पर तुरन्त चर्चा होनी चाहिए। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने उनकी बात का समर्थन किया तथा कहा कि माननीय अध्यक्ष इस विषय पर चर्चा एलॉ करें ताकि मामले से सम्बन्धित सभी तथ्य सामने आएं।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा :-

> **"मैंने पहले भी कहा है कि मामला Sub-judice है, it cannot be discussed in the House. I have rejected the Adjournment Motion given under Rule-67. मेरा आग्रह है कि आप सदन की कार्यवाही में भाग लें।"**

(पूर्वाह्न 11.25 बजे सदन की बैठक विपक्ष के शोर तथा नारेबाज़ी के मध्य पूर्वाह्न 11.45 बजे तक स्थगित की गई)

(पूर्वाह्न 11.45 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

विपक्ष ने नियम-67 के अन्तर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के विषय पर चर्चा के लिए ज़ोर डालते हुए व्यवधान उत्पन्न किया।

(पूर्वाह्न 11.55 बजे विपक्ष ने शोर और नारे लगाते हुए सदन से वॉक आउट किया)

11.55 AM

1. प्रश्नोत्तरः

(i) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्या 3093 और 3095 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3094 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 3096 से 3115 तक के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्या 1310 से 1314 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. कागज़ात सभा पटल परः

(1) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यन्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2014-15 (01-04-2014 से 31-03-2015 तक) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों का वार्षिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(अपराह्न 12.05 बजे विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में पुनः वापिस आए)

3. मन्त्री द्वारा वक्तव्य :

श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्री ने दिनांक 29 फरवरी, 2016 को उत्तरित स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2472 तथा दिनांक 6 अप्रैल, 2015 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1973 से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचना बारे वक्तव्य दिया तथा उनसे संबंधित कागज़ात सभा पटल पर रखे।

श्री रिखी राम कौंडल, सदस्य ने पीलिया रोग से एक पुलिस कॉन्स्टेबल की हुई मृत्यु तथा भराड़ी पुलिस लाईन, शिमला में पीलिया बीमारी के फैलने का विषय उठाया।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने उत्तर दिया।

4. <u>वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान</u>

मांग संख्या : 9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 9-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः 16,18,39,36,000/- और 53,26,50,000/-रूपए की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

मांग संख्याः 9 पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, रिखी राम कौंडल, विजय अग्निहोत्री, इन्द्र सिंह, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज, रविन्द्र सिंह और डॉ0 राजीव बिन्दल की ओर से 3 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1.) श्री महेन्द्र सिंह
2.) डॉ0 राजीव बिन्दल

(अपराह्न 1.15 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.15 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

मांग संख्या 9 पर चर्चा जारी :-

3.) श्री विजय अग्निहोत्री
4.) श्री इन्द्र सिंह
5.) श्री जय राम ठाकुर
6.) श्री महेश्वर सिंह

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री महेन्द्र सिंह व डॉ0 राजीव बिन्दल ने स्पष्टीकरण मांगे।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने उत्तर दिया।

(अपराह्न 3.58 बजे विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे गिलोटिन लगाया गया।

मांग संख्या : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 पूर्ण रूप से पारित हुई।

5. विधायी कार्यः

(I) सरकारी विधेयक की पुरः स्थापना

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

माननीय मुख्य मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित किया।

(II) <u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 2) पारित हुआ।

(सदन की बैठक अपराह्न 4.20 बजे शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)